W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए /0552/2003/ जिला सिरोही

1— पीरराम पुत्र लुम्बा
2— रावताराम पुत्र लुम्बा
3— नवाराम पुत्र लुम्बा
4— नताराम पुत्र लुम्बा
5— धापुबाई बेवा लुम्बा
जाति मेघवाल, निवासी उड तहसील व जिला सिरोही।
6— नेनू पुत्री लुम्बाराम पत्नि मंगलाराम पुत्र ओटा, जाति मेघवाल निवासी राजपुरा तहसील व जिला सिरोही।
7— मंजू पुत्री लुम्बाराम पत्नि भूराराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी सिरोही

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1— सोमा पुत्र सोला
2— नेतीया पुत्र सोला
3— पाबू उर्फ परतु बेवा सोला
समस्त जाति मेघवाल निवासी उड तहसील व जिला सिरोही
4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही।

.....**अप्रार्थीगण**

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी ।
श्री रधुनाथसिंह , अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 12—10—2012

1— यह निगरानी न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 109/02 में पारित आदेश दिनांक 25—1—03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1/ वादी ने एक वाद सहायक कलेक्टर सिरोही के

न्यायालय के समक्ष धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रस्तुत किया। दावे में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 /प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात जवाबदावा अप्रार्थी प्रस्तुत करने हेतु पेशीया नियत होती रही। दिनांक 9–10–2002 को प्रार्थी/वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके आदेश 8 नियम 1 को संशोधित कर दिया गया है। उक्त संशोधन दिनांक 01–07–2002 से प्रभावी है जिसके अनुसार जवाबदावा 30 दिना में प्रस्तुत करना जरूरी है। न्यायालय उक्त अवधि को बढा कर 90 दिन कर सकता है। दिनांक 1–7–02 से दिनांक 28–9–02 तक नियमानुसार जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु 90 दिवस पूर्ण हो जाते है, जबकि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा जवाबदावा दिनांक 30–09–2002 को प्रस्तुत किया गया है। अतः जवाबदावा अप्रार्थी मियाद बाहर होने से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सहायक कलेक्टर सिरोही ने प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र उभय पक्ष को सुन आदेश दिनांक 25–01–2003 द्वारा प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधित आदेश 8 नियम 1 के प्रावधान आज्ञापक है। यदि जवाबदावा 90 दिवस की अवधि में भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जवाबदावा बंद कर दिया जाता है। अप्रार्थी द्वारा नियत अवधि पश्चात अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायायलय ने उक्त प्रावधान को नजरअदांज कर नियत समय पश्चात प्रस्तुत जवाबदावा को रिकॉर्ड पर लिये जाने का गैर कानूनी आदेश पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनमाने तरीके से खारिज किया हैं। अप्रार्थी/प्रतिवादी अपना जवाबदावा प्रस्तुत करने का अधिकार खो चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25–01–2003 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा केवल 1 दिन के विलम्ब से जवाबदावा प्रस्तुत किया है। आदेश 8 नियम 1 के संशाधित प्रावधानों का प्रयोजन किसी पक्षकार को न्याय से वंचित करना नहीं है अपितु यह सुनिश्चित करना है कि जवाबदावा समय पर प्रस्तुत हो जावे। अतः केवल 1 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत जवाबदावा को विलम्बित मान कर लेने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी का जवाबदावा

रिकॉर्ड पर लेते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया है। प्रकरण वास्ते तनकीयात कायमी के स्तर पर विचाराधीन है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–01–2003 को जो आदेश पारित किया गया है वह अंतरिम आदेश होकर निर्णित प्रकरण की परीभाषा में नहीं आता है । अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है जो पोषणीय नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सहीं रूप से खारिज किया है जिसे निगरानी के माध्मय से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आलोच्य आदेश का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

7– यह निर्विवाद है कि सहायक कलेक्टर सिरोही के समक्ष प्रार्थीगण का मूल दावा वर्तमान में वास्ते विवाद्यक विरचना के स्तर पर विचाराधीन है। अप्रार्थी द्वारा एक दिन की मियाद बाहर अपना जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 में संशोधन का प्रयोजन मात्र इतना है कि जवाबदावा प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। उक्त प्रावधान का प्रयोजन तकनीकी आधार पर न्याय के द्वार बन्द करना नहीं है।** अतः मात्र 1 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत जवाबदावा को लेने से इन्कार करना न्याय के मार्ग में तकनीकी व्यवधान पैदा करना ही होगा। प्रतिवादी / अप्रार्थी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतो अनुसार किसी भी पक्ष को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। वैसे भी हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने लटूरलाल माली के प्रकरण -2012 (1) RRT 612 में कैलाश बनाम नानखू एवं अन्य के प्रकरण– 2005 (4) SCC 480 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 8 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रावधान आज्ञापक (mandatory) नहीं अपितु निदेशात्मक (directory) है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कैलाश बनाम नानखू के प्रकरण– 2005 (4) SCC 480 में यह व्यवस्था दी गयी है किः–

> *"the provisions spells out a disability on the defendant: a careful reading of the language in which Order 8 Rule 1 has been drafted, shows that it casts an obligation on the defendant to file the written statement within 30 days from the date of service of summons on him and within the extended time falling within 90 days. The provision does not deal with the power of the court and also does not specifically take away the power of the court to take the written statement on record though filed*

beyond the time as provided for. Though the language of the proviso to Rule 1 Order 8 CPC is couched in the negative form, it does not specify any penal consequences flowing from the non-compliance; however, the consequences of non-compliance may be read in by necessary implication. The provision being in the domain of the procedural law and considering the object and purpose behind enacting Rule 1 of Order 8 in the present form and the context in which the provision is placed, it has to be held to be directory and not mandatory. Moreover, under Order 8 Rule 9, in spite of the time limit appointed by Order 8 Rule 1 having expired, the court is not powerless to permit a written statement being filed if the court may require such written statement."

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं उसका अनुसरण करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 के प्रावधान आज्ञापक नहीं है। इसके अलावा उक्त आदेश 8 नियम 1 में दी गयी मियाद समाप्त हो जाने के बावजूद आदेश 8 नियम 9 के प्रावधान अनुसार न्यायालय जवाबदावा स्वीकार कर सकता है।**

8— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा मत है कि हस्तगत प्रकरण में आलोच्य आदेश दिनांक 25—01—2003 पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक एंव तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकार संबंधी ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। सारांशतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य